



# न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-158 / 2013-14

स्वाति सरीन बनाम पार्वती देवी वगैरह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
18-12-18	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदिका के द्वारा श्रीमती पार्वती देवी सहित कुल 7 (सात) लोगों को पक्षकार बनाया गया है। पक्षकारों में तीन पक्षकार पटना के तथा शेष चार पक्षकार पटना से बाहर यथा नालन्दा एवं सारण जिला के हैं।</p> <p>विपक्षी पार्वती देवी का तामिला प्राप्त है, परन्तु विपक्षी पार्वती देवी उपस्थित नहीं हुयी।</p> <p>दिनांक-16.08.2016, 20.09.2016 एवं 25.04.2017 को विपक्षीगण को निबंधित नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया गया, परन्तु आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। आवेदिका को दिनांक-30.06.2018 को निबंधित नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई करने का अंतिम मौका दिया गया, परन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया।</p> <p>स्पष्ट है कि आवेदिका को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>लेखाधित एवं संशोधित।</b></p> <p style="text-align: center;"> (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;"> (वजैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	